छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

आम सूचना

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के प्रावधानों सहपठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) विनियम, 2015 एवं 2021 के प्रावधानों के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (सी.एस.पी.जी.सी.एल.) के द्वारा अपने पारंपरिक विद्युत उत्पादन संयंत्रों के लिये वित्तीय वर्ष 2021–22 के वास्तविकीकरण (ट्रू–अप) के अनुमोदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष याचिका क्र. 102 / 2022 प्रस्तुत की गई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिये राजस्व में कमी रु. 445.08 करोड़ है तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में कैरिंग कॉस्ट सहित राजस्व कमी रु. 534.59 करोड़ है।

उपरोक्त याचिका की प्रतियाँ कार्यालय कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं नियामक मामले), सी.एस.पी.जी.सी.एल., डंगनिया रायपुर के साथ–साथ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर, रायपुर–492001 के कार्यालय में उपलब्ध है। याचिका की मुद्रित प्रति किसी भी कार्य दिवस में रूपये 300 / –का भुगतान कर सुबह 11:00 बजे से 4:00 बजे के बीच प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति रु. 100 / – (डाक व्यय) का अतिरिक्त भुगतान कर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। इस आम सूचना एवं याचिका की प्रति आयोग की वेबसाईट www.cserc.gov.in के साथ–साथ कंपनी की वेबसाईट www.cspc.co.in पर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त याचिका पर आपत्ति / सुझाव इस आम सूचना के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर सचिव, छ.ग. राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर–492001 एवं प्रति कार्यपालक निदेशक (वाणिज्य एवं नियामक मामले), सी.एस.पी.जी.सी.एल., डंगनिया रायपुर–492013 (फैक्स–0771-2574806) के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। सुझाव / आपत्ति की अग्रिम प्रति ई–मेल द्वारा ई–मेल आई.डी. cserc.sec.cg@nic.in एवं प्रति EDCNRA@cspc.co.in पर भी भेजी जा सकती है।

कार्यपालक निदेशक (सी. एण्ड आर.ए.)
सी.एस.पी.जी.सी.एल., रायपुर

स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचाएं

SIZE 11X8